बरअड्डा,

लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स वैष्णवी उद्योग, प्रो0–श्री विश्वजीत कुमार, ग्राम–दमकारा, पोस्ट–कल्याणपुर, बरअड्डा, जिला–धनबाद द्वारा भोजपुर सोन–07 बालू घाट मौजा–खानगांव, ब्लॉक–कोईलवर, जिला–भोजपुर के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 30.05.2023 को अपराह्न 03:00 बजे भोजपुर जिला के कोईलवर प्रखण्ड सभागार, कोईलवर, जिला–भोजपुर में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2068/2022, dated 11.01.2023 के आलोक में श्री सत्य प्रकाश, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भोजपुर (जिला पदाधिकारी, भोजपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 30.05.2023 को अपराह्न 03:00 बजे कोईलवर प्रखण्ड सभागार, कोईलवर, जिला–भोजपुर में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण, प्रभात खबर, हिन्दुस्तान टाइम्स एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 22.04.2023 को प्रकाशित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री मुन्ना कुमार शर्मा ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा । वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (300 नं0)का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sutainable Sand Mining Management

Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री सोनू कुमार, ग्राम–खण्डौल, जिला–भोजपुर	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना से स्थानीय लोग को क्या लाभ मिलेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोग को रोजगार प्रदान किया जायेगा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा। स्थानीय क्षेत्र के आस–पास ग्रीनवेल्ट विकास किया जायेगा, क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक वातावरण पर सकरात्मक प्रभाव पड़ेगा।
2.	श्री कमलदेव नारायण सिंह, ग्राम–रूप यकीया, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा पूछा गया कि इस परियोजना के तहत् कितने पेड़ लगाए जायेंगे, जो पेड़ लगाये जायेंगे कहाँ लगाऐंगे, उनका रख–रखाव कौन करेंगे। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना शुरू होते ही लगभग 300 पेड़ लगाये जायेंगे। इन पेड़ो की सुरझा एवं रख–रखाव परियोजना संचालक द्वारा किये जायेंगे। पेड़ हॉल रोड, गाँव के आस–पास इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे। पेड़ के रख–रखाव हेतु स्थानीय लोगों को ही माली के रूप में रखा जायेगा। इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि पेड़ छायादार एवं फलदार (सागवान, नीम, पीपल, वरगद, नीम, जामुन, आम इत्यादि) का लगाया जाय।
3.	श्री अभिषेक कुमार, ग्राम– चांदी, जिला– भोजपुर ।	इनके द्वारा पूछा गया कि खनन के दौरान परिवहन से बहुत धूल उड़ता है। इसका क्या उपाय करेंगे। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा

		बताया गया कि बालू से लदा गाड़ी तिरपाल से ढ़ककर ले जाया जायेगा। ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा। यातायात के नियमों को सुनिश्चित किया जायेगा। दिन में 02 बार जल–छिड़काव किया जायेगा।
4.	श्री निखील कुमार, ग्राम–खनगाँव , जिला–भोजपुर ।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना से स्थानीय लोग को क्या लाभ मिलेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोग को रोजगार प्रदान किया जायेगा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा। स्थानीय क्षेत्र के आस–पास ग्रीनवेल्ट विकास किया जायेगा, क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक वातावरण पर सकरात्मक प्रभाव पड़ेगा। खनिज विकास पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा बताया गया कि खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए जिला खनिज फाउंडेशन में संचित राशि से इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय–जल इत्यादि पर खर्च करने का प्रावधान है। खनन परियोजना के कुल लागत का 2% राशि इसमें संचित होता है। मिशन कायाकल्प के तहत् खनन प्रभावित क्षेत्र का विकास किया जाता है।
5.	श्री रवि कुमार, ग्राम–खनगाँव, जिला–भोजपुर ।	इनके द्वारा बताया गया कि यह स्थानीय निवासी है, सोन नदी के किनारे इनका गाँव है। बालू के क्रय करने हेतु इनको बालू के क्रय दर में रियायत मिलना चाहिए। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू के क्रय हेतु सरकार का रोयाल्टी निश्चित है। स्थानीय लोग के लिए छूट का प्रावधान नहीं है।

खनिज विकास पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा बताया गया कि खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए जिला खनिज फाउंडेशन में संचित राशि से इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय–जल इत्यादि पर खर्च करने का प्रावधान है। खनन परियोजना के कुल लागत का 2% राशि

इसमें संचित होता है। मिशन कायाकल्प के तहत् खनन प्रभावित क्षेत्र का विकास किया जाता है। इस क्षेत्र के प्रभावित आम जनता भी अपना मांग रख सकती है, इस राशि से उसको पूरा करने का अनुशंसा किया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

उन्होंने कम–से–कम 500 पेड़ लगाने का सुझाव दिये। पौधो का रख–रखाव स्थानीय ग्रामीण के द्वारा ही सुनिश्चित कराया जाय।

उनके द्वारा बताया गया कि अगर काम प्रारंभ होगा तो समस्या आयेगी। स्थानीय लोग अपनी क्षमता विकसित करें। संवेदक से मिलकर समस्या का निराकरण सुनिश्चित करायें। लाभ तभी मिलेगा जब सकारात्मक सोच रखेंगे। गाँव की अर्थ–व्यवस्था में भागीदारी बनें। जिला प्रशासन के साथ–साथ गाँव के लोग भी अनुपालन सुनिश्चित करायें।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी बि.रा.प्र.नि.पर्षद्,पटना	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी भोजपुर

उपस्थिति सूची

मेसर्स वैष्णवी उद्योग, प्रो०-श्री विश्वजीत कुमार द्वारा सोन 07 बालू घाट, मौजा-खानगांव, ब्लॉक-कोईलवर, जिला-भोजपुर में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची: दिनांक 30.05.2023 स्थान: ब्लाक सभागार, कोईलवर समय: 03:00 अपराह्न

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	श्री कमल प्रकाश	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी भोजपुर	[signature] 30/5/23
2.	आशीष कुमार गुप्ता	संयोजक पदाधिकारी बि०रा०प्र० नि० पर्षद पटना	आ.गु. 30-5-23
3.	आनन्द प्रकाश	खनिज विकास पदाधिकारी भोजपुर	[signature] 30/05/23
4.	कृष्णा कुमार शर्मा	Rzam Enviro Pvt Ltd. Patna	[signature]
5.	Md Rashid Aftab	Rtam Enviro Pvt Ltd	Rashid
6.	मिथिलेश कुमार राय	कुलहरिया	मिथलेश
7.	विनोद कुमार राय	कुल्हड़िया	विनोद
8.	शान्ति कुमार	खनगाँव	[signature]
9.	हवलदार राम	खनगाँव	हवलदार राम
10.	सुशील कुमार	खनगाँव	सुशील कुमार
11.	रंजीत कुमार	खानगाँव	रंजीत कुमार
12.	महेन्द्र राम	खानगाँव	महेन्द्र राम

13.	विवेक कुमार	चाँन्दी	विवेक कुमार
14.	नीलेश कुमार	चान्दी	नीलेश कुमार
15.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16.	अरुण कुमार	चाँदी	अरुण कुमार
17.	मोहन कुमार	चाँदी	
18.	दिवाकर कुमार	खानगाँव	[signature]
19.	Abhishek kumar	chandi	[signature]
20.	धर्मेन्द्र कुमार	खनगांव	[signature]
21.	कमल देव नारायण सिंह	रुपचनीया	[signature]
22.	छोटू कुमार	बहियारा	[signature]
23.	कुणाल कुमार	चाँन्दी	[signature]
24.	विरंजन कुमार	बहियारा	[signature]
25.	पंकज कुमार	चाँन्दी	पंकज कुमार
26.	सरस्वती कुमार	खनगांव	[signature]
27.	विनोद पासवान	ग्राम खनगांव	विनोद पासवान

28.	Rahul Kumar	BAHIYARA	[illegible]
29.	Washim Raja	Chandla	[illegible]
30.	अजीत कुमार	बहियारा	Ajeet Kumar
31.	Ravi Kumar	Khargaon	[illegible]
32.	अमन शर्मा	खान गाँव	Aman Sharma
33.	Mi... Ahmad	Bahiara	[illegible]
34.	Kamal Sharma Sharma	खनगाव	Kamal Sharma Sharma
35.	Anil Kumar	[illegible]	[illegible]
36.	Amit Kr	खनगाँव	Amit
37.	Prince Kr Singh	खनगाँव	Prince Singh
38.	Deep prakash Kr	खानगाँव	Deep prakash Kr
39.	Prakash Kumar	खानगाँव	Prakash Kumar
40.	Ugendra Kumar	खानगाँव	Ugendra Kumar
41.	Nikhil Kumar	खनगाँव	Nikhil Kumar
42.	[illegible]	[illegible]	[illegible]